



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श10)
(सं० पटना 912) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 186 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन वे उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर 2020 के 22वें दिन से दिसंबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 2124)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 186, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 2124)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25th November 2020

S.O. 186, Dated 25th November 2020— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-10** by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of December, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10) 2124)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 912-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>